



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274542
CG-DL-E-16072026-274542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948

No.572]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 630(अ).— केन्द्रीय सरकार, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 के नियम 33 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1)(क) अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (6) के अधीन प्राधिकार समिति के किसी आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर संबंधित राज्य सरकार, राज्यों के मामले में और संबंधित सरकार अथवा प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, के पास अपील कर सकेगा।

(ख) अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) या धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन समुचित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्रीय सरकार के और राज्यों के मामले में संबंधित राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है।”

[फा. सं. एस.12011/17/2026-एमएस]

विजय नेहरा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड (i) में तारीख 27 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 218(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन संख्या सा. का. नि. 138 (अ), तारीख 18 फरवरी, 2026 के अधीन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2026

G.S.R. 630(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Transplantation of Human Organs and Tissues (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, in rule 33, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(1)(a) Any person aggrieved by an order of the Authorisation Committee under sub-section (6) of section 9 of the Act, may, within a period of thirty days from the date of receipt of the order, prefer an appeal to the respective State Government in the case of States and respective Government or Administrator in the case of Union territories.

(b) Any person aggrieved by an order of the Appropriate Authority under sub-section (2) of section 15 or sub-section (2) of section 16 of the Act, may, within a period of thirty days from the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government in the case of the Union territories and the respective State Government in the case of States.”

[F. No. S.12011/17/2026-MS]

VIJAY NEHRA, Addl. Secy.

Note: The principal rules, 2014 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section-3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 218(E), dated 27th March, 2014 and was last amended vide number G.S.R. 138 (E), dated the 18th February, 2026.